

29/3/19

मसूदा (अजमेर) राज.

प्राची एवं प्राची के अधिवक्ता अनुपस्थित। उच्च अदालत उच्च
तक कर कार आवाज लावाई गई। परन्तु उनकी और से
कोई अदालत उपस्थित नहीं काया।

किसी प्रकार प्राची एवं प्राची के अधिवक्ता अनुपस्थित
रहने से अदालत के अदालत लजिमी के शारीर किया
जता है। जिससे फैसल सुनार लेकर जबर से कम से।
वाफवफार दाखिल है।

हाइड्रिक आउट सुले - भागालद के सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)

उपखण्ड अधिकारी

मसूदा (अजमेर) राज.

